F.No. 15-52/1/NMA-2021

Government of India

Ministry of Culture

National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Rudreswar Temple, Bamunara", District- Burdwan, West Bengal have been prepared by The Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2010 and Rule 18 of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011 and the same is uploaded on the following websites:

1. National Monuments Authority www.nma.gov.in
2. Archaeological Survey of India www.asi.nic.in
3. Archaeological Survey of India, Kolkata Circle www.asikolkata.com

Any person having any suggestion or comments may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email id hbl-section@nma.gov.in latest by 18th February 2021. The person making comment or suggestions should also give his name and address.

The objection or comments which may be received before the expiry of the period of 30 days i.e. 18th February 2021 shall be considered by The National Monuments Authority.

(N.T. Paite)
18th January2021

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

रुद्रेश्वर मंदिर, बामुनारा, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल के लिये धरोहर उप-विधि

Heritage Byelaws for Rudreswar Temple, Burdwan, West Bengal

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 जिसे प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पढ़ा जाए, की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक रुद्रेश्वर मंदिर, बामुनारा, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियमावली, 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के अंदर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हों, को सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के पास भेजा जा सकता है अथवा hbl-section@nma.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

उक्त प्रारूप उप-विधि के संबंध में किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि से पहले प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

धरोहर उप-विधि

अध्याय I

प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(i) इन उप विधियों को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक रुद्रेश्वर मंदिर, बामुनारा, जिला-बर्दवान, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप विधि, 2021 कहा जाएगा।

(ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगे।

(iii) ये उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1.1 परिभाषाएं-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्‌यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं-

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्‌यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो उसे बाड़ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 (1958 का 24) से है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से निम्नतर पद (रैंक) का नहीं है;

(ङ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त के रैंक से नीचे न हो या समतुल्य रैंक का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न-भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी शामिल है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;]

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात= भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे कवर करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियाँ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूल रूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति की गति को धीमा करना है;

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

(2) यहां प्रयोग किए शब्द और अभिव्यक्ति जो परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि

(एएमएएसआर) अधिनियम, 1958

2. **अधिनियम की पृष्ठभूमि** : धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.1 **धरोहर उप- विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध :** प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958, धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषनियम (धरोहर उप नियमों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) 2011, नियम 22 में केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप नियम बनाने के लिए मानदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्ते तथा कार्य संचालन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप नियमों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.2 **आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:** प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित

क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या पुनरुद्धार के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का काम कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी मरम्मत और पुनरुद्धार को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का कार्य कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम,2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक - रुद्रेश्वर मंदिर, बामुनारा, जिला-बर्दवान, पश्चिम बंगाल की अवस्थिति एवं विन्यास

3.0 स्मारक की अवस्थिति एवं विन्यास

- रुद्रेश्वर मंदिर : $23^0$30'.50" उत्तरी अक्षांश, $87^0$22'.46" पूर्वी देशांतर जीपीएस निर्देशांक पर स्थित है।
- यह स्मारक ग्राम बामुनारा, आसनसोल उप-मंडल में स्थित है।
- जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में आसनसोल शहर से दक्षिण-पूर्व दिशा में 49.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्मारक रेल और सड़क मार्ग से भली-भांति जुड़ा हुआ है। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन और दुर्गापुर बस स्टाप इस मंदिर से निकटतम हैं जो उत्तर-पश्चिम दिशा में क्रमश: 7.8 किलोमीटर और 11.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

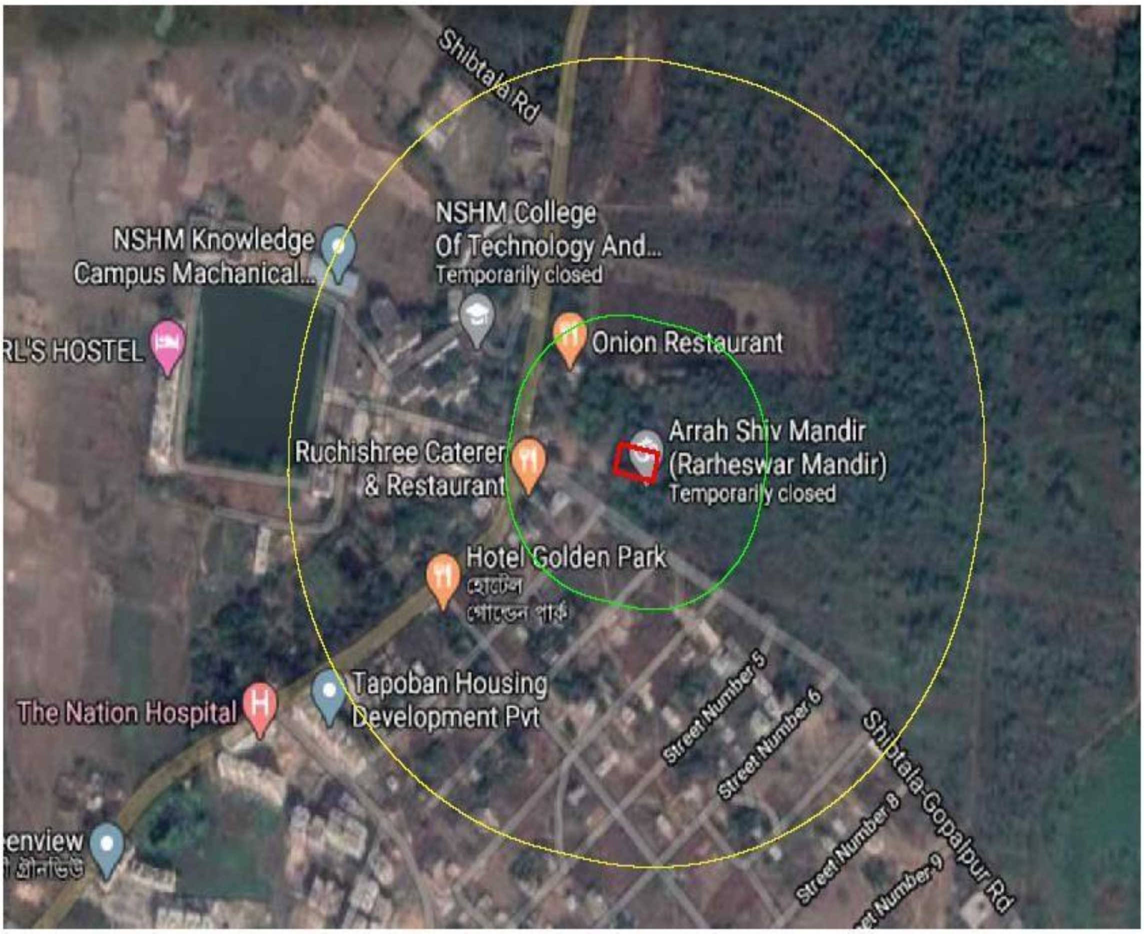

चित्र 1, रुद्रेश्वर मंदिर, स्थान-बामुनारा, जिला-बर्दवान, पश्चिम बंगाल की अवस्थिति को दर्शाता गूगल मानचित्र

- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दम दम, कोलकाता इसका निकटतम हवाई अड्डा है जो मंदिर की दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर 164 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

3.1 स्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक- रुद्रेश्वर मंदिर, स्थान-बामुनारा, जिला-वर्दवान, पश्चिम बंगाल की संरक्षित चारदीवारी अनुलग्नक-I पर देखी जा सकती है।

3.1.1. एएसआई के रेकॉर्डो के अनुसार अधिसूचना/ मानचित्र योजना:

रुद्रेश्वर मंदिर, स्थान-बामुनारा, जिला-वर्दवान, पश्चिम बंगाल की राजपत्र अधिसूचना संख्या अनुलग्नक-II पर देखी जा सकती है।

3.2. स्मारक का इतिहास :

रुद्रेश्वर मंदिर जो रड़ेश्वर मंदिर के नाम से लोकप्रिय है, का निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। यह मंदिर पश्चिम बर्धमान जिले में बामुनारा में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शिव मंदिर का निर्माण राजा बल्लालसेन द्वारा किया गया था। तथापि, इसकी वास्तुकीय शैली बताती है कि यह वर्तमान मंदिर संभवत: बाद के किसी समय में पुनर्निर्मित या नवीकृत किया गया था। विभिन्न कालावधियों के दौरान किए गए मरम्मत कार्य के कारण इसकी मूल विशेषताएं कुछ हद तक धूमिल हो गई हैं और इसके निर्माण की तारीख ज्ञात नहीं है। इस मंदिर के वर्तमान नवीकृत रूप में इसके निर्माण की सही तारीख नहीं बताई जा सकती।

3.3. स्मारक का विवरण (वास्तुपरक विशेषताएं, घटक, सामग्रियां आदि)

रुद्रेश्वर मंदिर लैटेराइट और बलुआ पत्थर के साथ नगर शैली में निर्मित किया गया था और यह अपने गर्भगृह में स्थापित विशालकाय *लिंगम* के लिए प्रसिद्ध है तथा इसकी छत पर *शिखर* प्रकार का दुर्ग है। मूल रूप से इस मंदिर का चूने से प्लस्तर किया गया था जिसके अवशेष कुछ स्थानों पर अभी भी देखे जा सकते हैं। अपने निर्माण के समय से अब तक इस आयताकार मंदिर में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है।

3.4. वर्तमान स्थिति

3.4.1. स्मारक की स्थिति - स्थिति का मूल्यांकन

यह स्मारक अच्छी तरह से परिरक्षित है।

3.4.2. प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों और कभी-कभार आने वाले आगंतुकों की संख्या:

इस स्मारक को देखने प्रतिदिन लगभग 20-30 आगंतुक/पर्यटक आते हैं। शिवरात्रि पर्व के दौरान, फरवरी और मार्च माह में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 100 से 150 तक पहुंच जाती है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र की विकास योजनाओं में मौजूदा क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.0. मौजूदा क्षेत्रीकरण :

भूमि उपयोग योजना परिमंडल, योजना और विकास निदेशालय (अंदल, पांडवेश्वर, दुर्गापुर-फरीदपुर और कांस्का सीडी ब्लॉक के लिए भूमि उपयोग और विकास नियंत्रण योजना [पश्चिम

बंगाल नगर एवं ग्राम (योजना एवं विकास) अधिनियम 1979 की धारा 31 के अंतर्गत]) के अनुसार यह स्मारक वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी/फलोद्यान क्षेत्र में दर्शाया गया है।

4.1. स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशा-निर्देश :

इन्हें **अनुलग्नक- III** पर देखा जा सकता है।

अध्याय V

प्रथम अनुसूची, नियम 21(1)/ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेखों में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.0 रुद्रेश्वर मंदिर, बामुनारा, जिला-बर्दवान, पश्चिम बंगाल की रूपरेखा योजना :

रुद्रेश्वर मंदिर, बामुनारा, जिला-बर्दवान, पश्चिम बंगाल की सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-IV** पर देखी जा सकती है।

5.1. सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण :

5.1.1. प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण :

- स्मारक का कुल संरक्षित क्षेत्र 792.83 वर्ग मीटर है।
- स्मारक का कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 43789.76 वर्ग मीटर है।
- स्मारक का कुल विनियमित क्षेत्र 318306.17 वर्ग मीटर है।

मुख्य विशेषताएं :

- स्मारक की प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की सभी दिशाओं में भूमि का उपयोग रिहायशी प्रयोजनार्थ किया गया है। स्मारक की पश्चिम और दक्षिण दिशा में अधिकतर सार्वजनिक और सांस्थानिक संरचनाएं जैसे मंदिर, एनएसएचएम कॉलेज परिसर आदि मौजूद हैं। स्मारक के उत्तर और पूर्व दिशा में बड़ा तालाब और विशाल हरित क्षेत्र मौजूद हैं।

5.1.2. निर्मित क्षेत्र का विवरण :

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर और उत्तर-पूर्व :** इस दिशा में पेड़ सहित विशाल खुला स्थान, मंदिर और एक बड़ा तालाब मौजूद हैं।

- **दक्षिण:** इस दिशा में शिवताल-गोपालपुर रोड, लैम्प पोस्ट, व्यावसायिक इमारतें (होटल, रेस्तरां आदि) और कुछ रिहायशी मकान मौजूद हैं।
- **पूर्व:** इस दिशा में पेड़ों सहित विशाल खुला स्थान मौजूद है।
- **पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम:** इस दिशा में स्मारक तक जाने वाली प्रवेश सड़क (कच्ची सड़क), मंदिर कार्यालय, बच्चों का पार्क और कुछ रिहायशी एवं व्यावसायिक संरचनाएं मौजूद हैं। इसी दिशा में लैम्प पोस्ट, कुंआ और हैंड पम्प भी मौजूद हैं।

विनियमित क्षेत्र:

- **उत्तर:** इस दिशा में बहुत बड़ा तालाब, कच्ची सड़क और पेड़ों सहित बहुत बड़ा खुला भूमि क्षेत्र मौजूद है।
- **दक्षिण:** इस दिशा में व्यावसायिक संरचनाएं (होटल, लॉज, दुकानें) और कुछ व्यावसायिक भवन और कच्ची सड़कें मौजूद हैं।
- **पूर्व :** इस दिशा में पेड़ों सहित विशाल खुली भूमि मौजूद है।
- **पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम:** इस दिशा में दुर्गापुर-बामुनारा-मालनदिघी-शिवपुर-जयदेव-केन्दुली कागरा रोड (बिटुमन रोड) जो आगे जाकर जीटी रोड से जुड़ती है, एनएसएचएम कॉलेज परिसर, अस्पताल, रिहायशी परिसर और अन्य व्यावसायिक भवन (होटल, रेस्तरां, लॉज) मौजूद हैं।

5.1.3. हरित/खुले स्थानों का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

- **उत्तर:** इस दिशा में पेड़ों सहित खुला स्थान मौजूद है।
- **दक्षिण :** यह क्षेत्र अधिकतर खुला है और पेड़ों से ढका हुआ है।
- **पूर्व :** इस दिशा में पेड़-पौधों सहित खुला स्थान मौजूद है।
- **पश्चिम:** इस दिशा में खुले स्थानों सहित कई रिहायशी और व्यावसायिक संरचनाएं मौजूद हैं।

विनियमित क्षेत्र:

- **उत्तर** : उत्तर-पश्चिम और उत्तरी दिशा में बड़ा तालाब मौजूद है। पूर्वोत्तर दिशा में खुले क्षेत्र हैं।
- **दक्षिण:** इस दिशा में मंदिर, अकादेमी, बाजार परिसर और रिहायशी परिसर जैसी सार्वजनिक संरचनाएं मौजूद हैं।
- **पूर्व:** इस दिशा में किसी स्वामी की खाली भूमि के अलावा बड़े पेड़ों सहित खुला क्षेत्र मौजूद है।
- **पश्चिम:** दक्षिण-पश्चिम दिशा में पेड़ों सहित खुले क्षेत्र मौजूद हैं। पश्चिम दिशा में कुछ रिहायशी भवन भी हैं।

5.1.4. परिचालन के अंतर्गत शामिल किया गया क्षेत्र- सड़कें, फुटपाथ आदि:

स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कुछ बिटुमन सड़कें और अधिकतर कच्ची सड़कें हैं। इसके अलावा, शिवताल रोड जैसे कई चौराहे, राज्य राजमार्ग और अन्य कच्ची सड़कें भी मौजूद हैं। साथ ही, स्मारक की संरक्षित चारदीवारी के भीतर भी रास्ते हैं।

5.1.5. भवन की ऊंचाई (क्षेत्र-वार):

उत्तर और उत्तर-पूर्व : अधिकतम ऊंचाई 3 मीटर है।

दक्षिण : अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर है।

पूर्व : अधिकतम ऊंचाई 3 मीटर है।

पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम : अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर है।

5.1.6. प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संरक्षित स्मारक और सूचीबद्ध विरासत भवन, यदि मौजूद हो:

प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर कोई राज्य संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध किए गए विरासत भवन मौजूद नहीं हैं।

5.1.7. सार्वजनिक सुविधाएं :

स्थानीय मंदिर प्राधिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्र के भीतर पेयजल सुविधा और पथ उपलब्ध कराए गए हैं। स्मारक के भीतर आगंतुकों के लिए कोई शौचालय खंड उपलब्ध नहीं है।

5.1.8. स्मारक तक पहुंच:

इस स्मारक तक कच्ची सड़क से पहुंचा जा सकता है जो शिवताल, गोपालपुर रोड (बिटुमन रोड) से जुड़ती है जो आगे जाकर राज्य राजमार्ग से जुड़ जाती है।

5.1.9. अवसंरचनात्मक सेवाएं [(जलापूर्ति, झंझाजल अपवाह तंत्र (स्टोर्म वाटर ड्रेनिज) , जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि)]

स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में जलापूर्ति के अतिरिक्त कोई अन्य अवसंरचनात्मक सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।

5.1.10. स्थानीय निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

बर्दवान नगर-निगम के लिए विकास नियंत्रण क्षेत्रों के अनुसार, इस स्मारक के लिए कोई विशिष्ट क्षेत्रीकरण तैयार नहीं किया गया है।

अध्याय VI

स्मारक का वास्तुकीय, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.0. वास्तुकीय, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

रुद्रेश्वर मंदिर जो रडेश्वर मंदिर के नाम से लोकप्रिय है, का निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। यह मंदिर पश्चिम बर्धमान जिले में बामुनारा में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शिव मंदिर का निर्माण राजा बल्लालसेन द्वारा किया गया था। तथापि, इसकी वास्तुकीय शैली बताती है कि यह वर्तमान मंदिर संभवत: बाद के किसी समय में पुनर्निर्मित या नवीकृत किया गया था। विभिन्न कालावधियों के दौरान किए गए मरम्मत कार्य के कारण

इसकी मूल विशेषताएं कुछ हद तक धूमिल हो गई हैं और इसके निर्माण की तारीख ज्ञात नहीं है। इस मंदिर के वर्तमान नवीकृत रूप में इसके निर्माण की सही तारीख नहीं बताई जा सकती।

रुद्रेश्वर मंदिर लैटेराइट और बलुआ पत्थर के साथ नगर शैली में निर्मित किया गया था और यह अपने गर्भगृह में स्थापित विशालकाय *लिंगम* के लिए प्रसिद्ध है तथा इसकी छत पर *शिखर* प्रकार का दुर्ग है। मूल रूप से इस मंदिर को चूने से प्लस्तर किया गया था जिसके अवशेष कुछ स्थानों पर अभी भी देखे जा सकते हैं। अपने निर्माण के समय से अब तक इस आयताकार मंदिर में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है।

6.1. स्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि)

यह क्षेत्र स्मारक की दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशा में शहरीकरण के कारण संवेदनशील है क्योंकि इन दिशाओं में निर्माण संबंधी कार्यकलाप बढ़ते जा रहे हैं।

6.2. संरक्षित स्मारक/क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

यह स्मारक प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर, पश्चिम और पूर्वी दिशाओं से आंशिक रूप से दिखाई देता है और विनियमित क्षेत्र की पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम दिशाओं से बहुत कम दिखाई देता है।

6.3. पहचान योग्य भूमि उपयोग:

इस क्षेत्र में भूमि का रिहायशी, व्यावसायिक और सांस्थानिक (पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशाएं) उपयोग किया गया है। कई सार्वजनिक और धार्मिक भवन भी इस स्मारक के आस-पास के क्षेत्र में मौजूद हैं। तथापि, यह स्मारक बड़े पेड़ों वाले विशाल खुले क्षेत्र से घिरा हुआ है।

6.4. संरक्षित स्मारक के अलावा पुरातात्विक विरासत अवशेष :

इस क्षेत्र में, इस संरक्षित स्मारक के अतिरिक्त अन्य किसी पुरातात्विक विरासत के अवशेष मौजूद नहीं हैं।

6.5. सांस्कृतिक परिदृश्य :

वर्तमान में इस स्मारक के आस-पास कोई भी सांस्कृतिक परिदृश्य नहीं है।

6.6. महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का भाग है और यह पर्यावरणीय प्रदूषण से स्मारक को संरक्षित करने में मदद करता है:

स्मारक में अधिकतर दक्षिण दिशा की ओर आधुनिक निर्माण कार्य किया गया है और एक तालाब भी मौजूद है। अत: कोई महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य मौजूद नहीं है।

6.7. खुले स्थान और निर्मित भवन का उपयोग:

स्मारक के इर्द-गिर्द कई बड़े पेड़ों वाले विशाल खुले क्षेत्र और एक तालाब के अलावा इसकी परिसीमा के भीतर कोई महत्वपूर्ण परिदृश्य मौजूद नहीं है।

6.8. पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप:

लगभग 800 वर्ष पुराना यह स्मारक अपने विशालकाय *शिवलिंगम* के लिए प्रसिद्ध है जो इसके गर्भगृह में स्थापित है।

6.9. स्मारक और विनियमित क्षेत्रों से नजर आने वाला क्षितिज:

आस-पास के क्षेत्र के क्षितिज से स्मारक का ऊपरी भाग बहुत कम दिखाई देता है। यह स्मारक प्रतिषिद्ध क्षेत्र की उत्तर, पश्चिम दिशाओं से आंशिक रूप से दिखाई देता है और विनियमित क्षेत्र की पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम दिशाओं से दिखाई नहीं देता है।

6.10. पारंपरिक वास्तुकला:

स्मारक के आस-पास पारंपरिक वास्तुकीय संरचना का कोई नमूना मौजूद नहीं है।

6.11. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा उपलब्ध विकासात्मक योजना

अंदल, पांडवेश्वर, दुर्गापुर-फरीदपुर और कांस्का ब्लॉक के लिए विकास योजना **अनुलग्नक-V** पर देखी जा सकती है।

6.12 भवन निर्माण संबंधी मापदंड :

(क) स्थल पर निर्मित भवन की ऊंचाई (छत के ऊपरी भाग की संरचना जैसे ममटी, मुंडेर आदि सहित) :- स्मारक के विनियमित क्षेत्र में भवनों की ऊंचाई को 7.00 मीटर (सभी को शामिल करते हुए) तक सीमित रखा जाएगा।

(ख) तल क्षेत्र : एफएआर स्थानीय निर्माण उपनियमों के अनुसार होंगे।

(ग) **उपयोग :** भूमि-उपयोग में बिना किसी परिवर्तन सहित, स्थानीय निर्माण-उपनियमों के अनुसार

(घ) **अग्रभाग का डिजाइन :**

अग्रभाग का डिजाइन, स्मारक के परिवेश से मेल खाना चाहिए

(ड.) **छत का डिजाइन :**

छत के निम्नलिखित डिजाइन अपनाए जा सकते हैं:

- कच्चा या अर्धगोलाकार डिजाइन *(चाला)* में पुआल से बने छप्पर वाले घर : चाला छत को दर्शाती हुई पारंपरिक बंगाली झोपड़ियां। (*चाला छत* एक अर्धगोलाकार नमूना है जिसे आमतौर पर *एक-चाला, दो-चाला* और *चार-चाला* के नाम से जाना जाता है। इसके किनारे और कोने मुड़े हुए होते हैं जो एक घुमावदार मेड़ पर जाकर मिलते हैं।) बांस और पुआल का उपयोग छत बनाने की सामग्री के रूप में किया जा सकता है।
- *खपरा* या मिट्टी की टाइलों से बनी छत या नालीदार लोहे की शीट से ढके घर।
- पक्के घरों के लिए, आधुनिक सामग्री से बनी छत के समान प्रकार का उपयोग किया जा सकता है परंतु यह 7 मीटर की उंचाई तक सीमित होगा (सभी को शामिल करते हुए)

(च) **भवन निर्माण सामग्री:**

- पारंपरिक भवन सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

(छ) **रंग:-** स्मारक के अनुरूप हल्के रंग का उपयोग ही किया जाना चाहिए।

6.13 आगंतुक सुविधाएं और साधन:

स्थल पर आगंतुक सुविधाएं और साधन जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, लाइट और साउंड शो, शौचालय, विवेचना केन्द्र, कैफेटेरिया, पेयजल सुविधा, स्मारिका-विक्रय केन्द्र, दृश्य-श्रव्य केन्द्र, दिव्यांगजन के लिए रैम्प, वाई-फाई और ब्रेल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय-VII

स्थल विशिष्ट संस्तुतियॉ

7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशें

(क) सैटबैक

- सामने के भवन का किनारा, मौजूदा सड़क की सीध में ही होना चाहिए। इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) अथवा आंतरिक बरामदों या चबूतरों में न्यूनतम खाली स्थान की अपेक्षा को पूरा किया जाना चाहिए।

(ख) अनुमान (प्रोजेक्शंस)

- सड़क के 'निर्बाध' रास्ते से आगे भूमि स्तर पर बाधा-मुक्त पथ में किसी सीढ़ी या पीठिका (प्लिंथ) की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़कों को मौजूदा भवन के किनारे की रेखा से 'निर्बाध' आयामों से जोड़ा जाएगा।

(ग) संकेतक (साइनेज)

- धरोहर क्षेत्र में साइनेज़ (सूचनापट्ट) के लिए एल.ई.डी. अथवा डिजिटल चिह्नों अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक रासायनिक (सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती; किंतु विशेष आयोजनों/मेलों आदि के लिए इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन अनुमत नहीं होगा।
- संकेतकों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी धरोहर संरचना या स्मारक को देखने में बाधा न आए और उनकी दिशा पैदल यात्री की ओर हो।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेताओं को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाए।

7.2 अन्य सिफारिशें

- व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।

- विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf में देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument Rudreswar Temple, Bamunara, District- Burdwan, West Bengal, prepared by the Competent Authority, are hereby published, as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at hbl_section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws
CHAPTER I
PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2021 of Centrally Protected Monument Rudreswar Temple, Bamunara, District- Burdwan, West Bengal

(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.

(iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) The remains of an ancient monument,
(ii) The site of an ancient monument,
(iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
(ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) “Government” means The Government of India;

(j) “maintain”, with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k)“owner” includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and
(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) “preservation” means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.

(m) “prohibited area” means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n)“protected area” means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o)“protected monument” means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p)“regulated area” means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B;

(q)“re-construction” means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) “repair and renovation” means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2. **Background of the Act: -**The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant: The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of

Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument- Rudreswar Temple, Locality- Bamunara, District- Burdwan, West Bengal

3.0 Location and Setting of the Monuments: -

- Rudreswar Temple is located at Lat. 23^0 30’ 50” N. Long. 87^0 22’ 46” E GPS Coordinates.
- The monument is located in the village of Bamunara, Asansol sub-division.

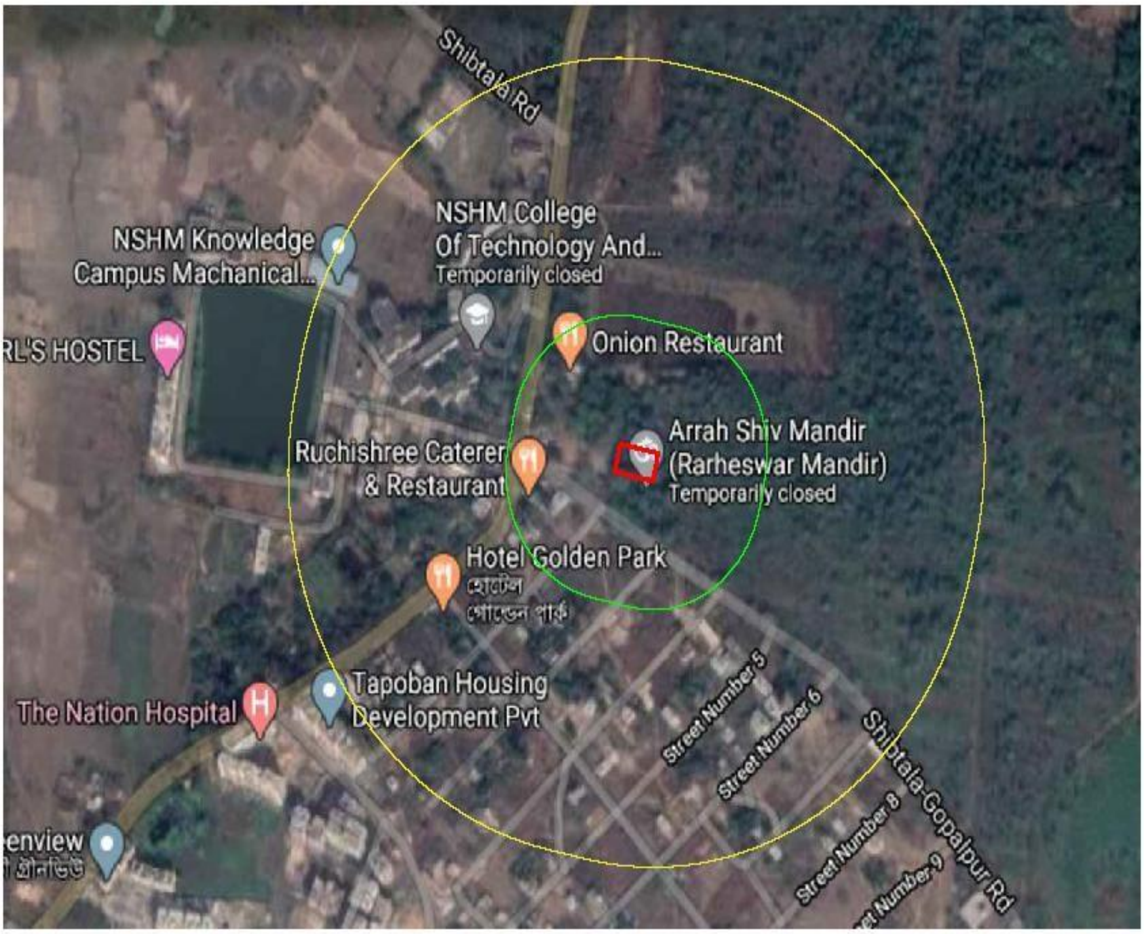

Figure 1, Google map showing location of Rudreswar Temple, Locality- Bamunara, District- Burdwan, West Bengal

- At a distance of 49.9 km south- east from Asansol city in Burdwan district, West Bengal, this monument is well connected by rail and road. Durgapur Railway Station and Durgapur bus stop are the nearest at about 7.8km and 11.8km northwest from the temple respectively.
- The nearest airport is Netaji Subhash Chandra Bose International Airport at a distance of 164km south-east from the temple.

3.1 Protected boundary of the Monument:

The protected boundary of the Centrally Protected Monument- Rudreswar Temple, Locality- Bamunara, District- Burdwan West Bengal may be seen at **Annexure-I**.

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The copy of Gazette Notification Rudreswar Temple, Locality- Bamunara, District- Burdwan, West Bengal may be seen at **Annexure-II**.

3.2 History of the Monument:

Rudreswar Temple which is popularly known as Rarheswar temple was built approximately in 12th Century CE. This temple is situated at Bamunara in Paschim Bardhaman district. Legends say that this Shiva temple was constructed by Raja Ballalsena. However, the architectural style suggests that the present temple is probably reconstructed or renovated at a later period. Due to repairs undertaken in different periods its original features are somewhat obliterated and its date of erection is not known. The temple cannot be precisely dated for its present renovated appearance.

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

Rudreswar temple was built in *Nagara* Style with laterite and sand stone and which is famous for its huge *lingam* enshrined on its sanctum and roofed by a *shikhara* type tower. Originally this temple was plastered with lime, traces of which can still be seen at places. This rectangular temple has undergone a sea change since its construction.

3.4 Current Status

3.4.1 Condition of Monument- condition assessment :

The monument is in a good state of preservation.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers :

The monument is visited by at about 20- 30 visitors/devotees per day. During Shivaratri, in the month of February and March the number of devotees increases and goes up to 100-150.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing zoning:

As per the Land Use Planning Circle Directorate of Planning and Development (land use and development control plan for Andal, Pandabeswar, Durgapur - Faridpur and Kanksa cd blocks [u/s 31 of the West Bengal town & country (planning & development) act 1979]), this monument shown in the Afforestation, social forestry/ orchard area.

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure-III**.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan of Rudreswar Temple, Bamunara, District- Burdwan, West Bengal

Survey Plan of Rudreswar Temple, Bamunara, District- Burdwan, West Bengal may be seen at **Annexure-IV**.

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

- Total Protected Area of the monument is 792.83 sq.m
- Total Prohibited Area of the monument is 43789.76 sq. m
- Total Regulated Area of the monument is 318306.17 sq.m.

Salient Features

- In all directions of Prohibited and Regulated Area of the monument, the land is used mostly for residential purpose. Many public and institutional structures such as temples, NSHM College Campus etc. are also present in the west\ and south direction of the monument. A large pond and huge green area is present in the north and east direction of the monument.

5.1.2 Description of built-up area:

Prohibited Area

- **North & North east:** A huge open space with trees, temples and a huge pond are present in this direction.
- **South:** Shibtala-Gopalpur Road, lamp posts, commercial structures (hotels, restaurants) and a very few residential structures are present in this direction.
- **East:** Huge open space with trees is present in this direction.
- **West & south- west:** The entrance road (kutcha road) to the monument, temple office, children's park and few residential and commercial structures are situated in this direction. Lamp posts, well and hand pumps are also present in the same direction.

Regulated Area

- **North:** Huge pond, kutcha road and vast open land with trees are present in this direction.
- **South:** Commercial structures (hotels, lodges, shops) and some residential

structures and kutcha roads are present in this direction.

- **East:** Vast open land with trees is present in this direction.
- **West & south- west:** Durgapur- Bamunara- Malandighi- Shibpur_ Joydev- Kenduli Kagra Road (bitumen road) which further connects to the GT road, NSHM College Campus, hospital, residential complexes and other commercial buildings (hotels, restaurants, lodges) are present in this direction.

5.1.3 Description of green/open spaces:

Prohibited Area

- **North:** Open space with trees is present in this direction.
- **South:** Mostly the area is open and covered with trees.
- **East:** Open space with vegetation is present in this direction.
- **West:** Many residential and commercial structures with open spaces are present in this direction.

Regulated Area

- **North:** Big pond is present in north-west and northern direction. There are open areas in the north-east direction.
- **South:** Public structures such as temple, academy, market complex and residential complexes etc are present in this direction.
- **East:** Open areas with big trees are present in this direction, besides some swamy vacant land.
- **West:** Open areas covered with trees is present in the south-west direction. Few residential buildings also exist in the west direction.

5.1.4 Area covered under circulation –roads, footpaths etc. :

A few bitumen roads and mostly kutcha roads are present in the Prohibited and Regulated Area of the monument. Apart from this, many road intersections such as Shibtala Road, state highway and other kutcha roads are present. Moreover, pathways are present inside the Protected boundary of the monument.

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise) :

- **North & north-east:** The maximum height is 3 m.
- **South:** The maximum height is 12 m.
- **East:** The maximum height is 3 m.
- **West & south- west:** The maximum height is 12 m.

5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There is no State Protected monument and listed heritage buildings by local authorities within Prohibited/Regulated Area of the monument.

5.1.7 Public amenities:

Drinking water facility and pathways are made available within the Protected Area by the local temple authority. No toilet block is available inside the monument for visitors.

5.1.8 Access to monument:

The monument is accessed by a kutcha road which connects to Shibtala Gopalpur Road (bitumen road) which is further connected to the state highway.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

No other infrastructure services are present in the Protected Area except water supply.

5.1.10 Proposed zoning of the area :

As per the Development control zones for Burdwan Municipality, no specific zoning has been prepared for this monument.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments.

6.0 Architectural, historical and archaeological value of the monument:

Rudreswar Temple which is popularly known as Rarheswar temple was built approximately in 12th Century CE. This temple is situated at Bamunara in Paschim Bardhaman district. Legends say that this Shiva temple was constructed by Raja Ballalsena. However, the architectural style suggests that the present temple is probably reconstructed or renovated at a later period. Due to repairs undertaken in different periods its original features are somewhat obliterated and its date of erection is not known. The temple cannot be precisely dated for its present renovated appearance.

Rudreswar temple was built in *Nagara* Style with laterite and sand stone which is famous for its huge *lingam* enshrined on its sanctum and roofed by a *shikhara* type tower. Originally plastered with lime, traces of which can still be seen at places. This rectangular temple has undergone a sea change since its construction.

6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.) :

The area is sensitive to urbanization mostly in the south and south- west direction of the monument as the construction activity is increasing in these directions.

6.2 Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area.

The monument is partly visible from the north, west and the eastern direction of the Prohibited Area and hardly visible from west and south-west side of the Regulated Area.

6.3 Land use to be identified:

The land-use in the area is residential, commercial and institutional (west and south-west diretions). Many public and religious structures are also present in surrounding area of the monument. However, the monument is surrounded by huge open area with big trees.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

There is no archaeological heritage remains present other than the protected monument in this area.

6.5 Cultural landscapes :

There is no cultural landscape associated with the monument in the present day.

6.6 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting monument from environmental pollution:

The monument has modern constructions mainly in the southern direction and a pond. Therefore, presently no significant natural landscape exists.

6.7 Usage of open space and constructions:

There is no significant landscape within the precinct other than a pond and a huge open area with many big trees around the monument.

6.8 Traditional, historical and cultural activities:

Almost 800 years old, this monument is famous for its huge *Siva lingam* which enshrines in its sanctum.

6.9 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas :

The upper part of the monument is hardly visible in the skyline of the surroundings area. The monument is partly visible from the north, west direction of the Prohibited Area and not visible from west and south-west direction of the Regulated Area.

6.10 Traditional architecture:

No traditional architecture has been in prevalence around the monument.

6.11 Development plan as available by the local authorities.

Development plan for Andal, Pandabeswar, Durgapur- Faridpur and Kanksa blocks may be seen at Annexure V.

6.12Building related parameters:

(a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc.):
The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 7.00 m. (All inclusive)

(b) Floor area: FAR will be as per local bye-laws.

(c) Usage: - As per local building bye-laws with no change in land-use.

(d) Façade design
The façade design should match the ambience of the monument.

(e) Roof design:
The following roof designs may be followed:

- Kutcha or houses thatched with straw in semi-round design (*chala*): traditional Bengali huts portraying the *chala* roof. (The *chala* roof is semi-round pattern commonly known as *ek-chala, do-chala and char-chala*, with curved edges and cornices meeting at a curved ridge). Bamboo and straw may be used as the roofing material.
- *Khapra* or houses covered with clay tiled roofs or corrugated iron sheet.

- For pukka houses, the similar design of roof in modern material may be used restricted up to 7m in height (all inclusive).

(f) Building material: Traditional building material may be used.

(g) Color: Neutral colors matching with the monument may be used.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, light and sound shows, toilets, interpretation center, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual center, ramp for differently abled, Wi-Fi, and braille should be available at the site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

a) Setbacks

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages

- LED or digital signs, plastic fibre glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted, but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations:

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

संलग्नक

ANNEXURES

संलग्नक I

ANNEXURE-I

रुद्रेश्वर मंदिर, स्थान-बामुनारा, जिला-बर्दवान, पश्चिम बंगाल की संरक्षित चारदीवारी

Protected Boundary of Rudreswar Temple, Locality- Bamunara, District- Burdwan, West Bengal

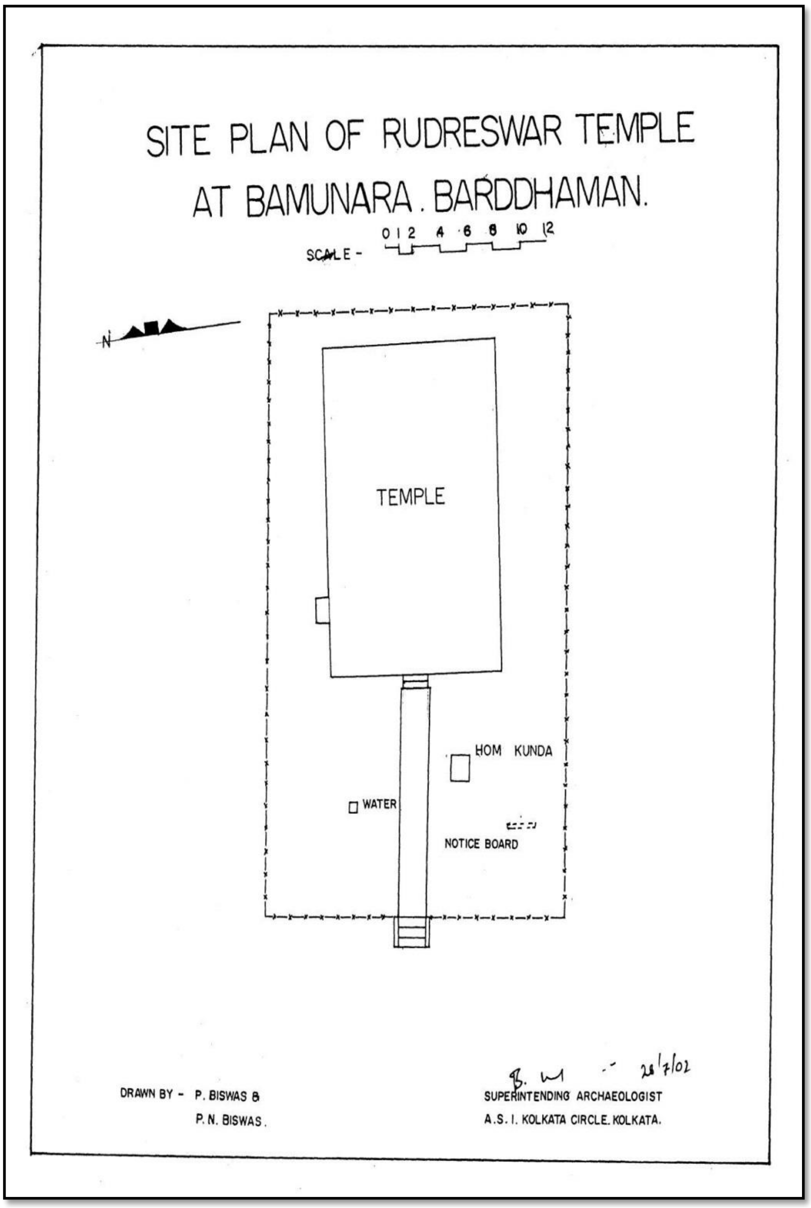

अनुलग्नक-II

ANNEXURE-II

रुद्रेश्वर मंदिर, स्थान-बामुनारा, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल की अधिसूचना

Notification of Rudreswar Temple, Locality- Bamunara, District- Burdwan, West Bengal

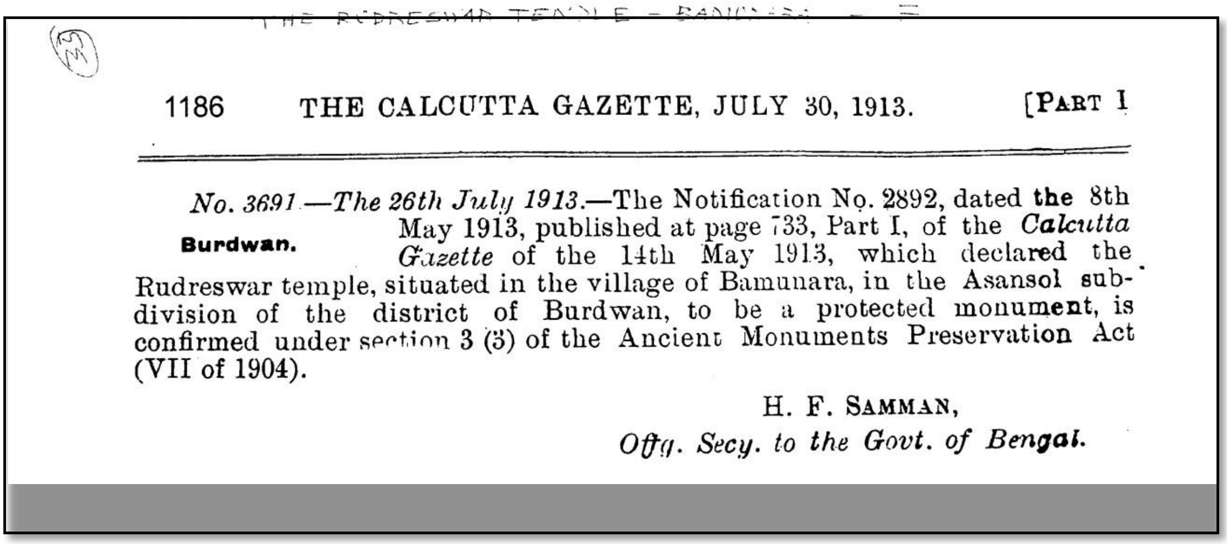

1186 THE CALCUTTA GAZETTE, JULY 30, 1913. [PART I

No. 3691.—The 26th July 1913.—The Notification No. 2892, dated the 8th May 1913, published at page 733, Part I, of the *Calcutta Gazette* of the 14th May 1913, which declared the Rudreswar temple, situated in the village of Bamunara, in the Asansol sub-division of the district of Burdwan, to be a protected monument, is confirmed under section 3 (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904).

Burdwan.

H. F. SAMMAN,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

मूल अधिसूचना की टंकित प्रति

Typed copy of Original Notification

THE CALCUTTA GAZETTE, JULY 30, 1913

No.3691- The 26th July 1913.- The Notification No. 2892, dated the 8th May 1913, published at page 733, Part I, of the *Calcutta Gazette* of the 14th May 1913, which declared the Rudreswar temple, situated in the village of Bamunara, in the Asansol subdivision of the district of Burdwan, to be a protected monument, is confirmed under section 3 (3) of the Ancient Monuments Preservations Act (VII of 1904).

अनुलग्नक-III

स्थानीय निकाय दिशा-निर्देश

यद्यपि राज्य अधिनियम/नियम/विरासत उपनियम/मास्टर/प्लान/शहर विकास योजना आदि में कोई विशेष दिशानिर्देश नहीं बनाया गया है, तथापि निम्नलिखित अधिनियम/नियम में विरासत के संबंध में प्रावधान किए गए हैं:

(i) पश्चिम बंगाल नगर पालिका (भवन) नियमावली, 2007 में भवन निर्माण और अन्य संबंधी विषयों के लिए दिशा-निर्देश निर्दिष्ट है। (पैरा 3.2.1 और 3.2.3 में विवरण दिया गया है)।

(ii) वर्ष 2001 के पश्चिम बंगाल अधिनियम IX के पश्चिम बंगाल विरासत आयोग अधिनियम, 2001 में विरासत भवनों, स्मारकों, सीमाओं और स्थलों को पहचानने और उनके पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए उपाय करने के उद्देश से पश्चिम बंगाल राज्य में एक विरासत आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया है। यह संपूर्ण पश्चिम बंगाल के लिए है। इस अधिनियम के अध्याय II में पश्चिम बंगाल विरासत आयोग के नाम से एक आयोग की स्थापना के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

1. विनियमित क्षेत्र के भीतर नए निर्माण के लिए अनुमेय ग्राउंड कवरेज, एफएआर/एफएसआई और ऊंचाई; और सेटबैक:

पश्चिम बंगाल नगरपालिका (भवन) नियम, 2007 के अनुसार निर्माण का सामान्य नियम लागू होगा।

पश्चिम बंगाल नगर पालिका (भवन) नियमावली 2007 भाग-III, धारा 46(1) के अनुसार:

(क) भवन के लिए अधिकतम अनुमेय ग्राउंड कवरेज, जहां प्लॉट में एक ही भवन हो, प्लॉट का आकार जैसे भवनके उपयोग के आधार पर निम्न तालिका अनुसार होगा:

अधिकतम अनुमेय ग्राउंड कवरेज (प्लॉट में एक ही भवन हो)

भवन का प्रकार	अधिकतम अनुमेय ग्राउंड कवरेज
1. **रिहायशी और शैक्षणिक भवन:** (क) प्लॉट का आकार 200 वर्ग मीटर तक (ख) प्लॉट का आकार 500 वर्ग मीटर से अधिक	65% 50%
2. **मिश्रित उपयोग सहित अन्य उपयोग**	40%

पश्चिम बंगाल नगरपालिका (भवन) नियमावली, 2007, भाग XI, धारा 162 के अनुसार ***भवन की अनुमेय ऊंचाई*** -

(1) एक भवन की अधिकतम अनुमेय ऊँचाई और अनुमेय फर्श क्षेत्र को उसी क्षेत्र में आसपास के खुले स्थान की चौड़ाई तथा पहुंच मार्ग की चौड़ाई को निम्न तालिका के अनुसार भवन के प्रकार के आधार पर विनियमित किया जाएगा :-

फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर):				
सामने खुले स्थाकी की चौड़ाइ्र सहित पहुंच मार्ग की चौड़ाई	3.0 मीटर तक	3.0-5.0 मीटर	5.0-7.5 मीटर	7.5 मीटर से अधिक
रिहायशी	1.0	2.0	2.5	2.75
व्यावसायिक, सार्वजनिक और अन्य उपयोग	1.0	1.5	2.0	2.5
अधिकतम अनुमेय ऊँचाई	4.5	6.5	11.5	13.5

पहुंच मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	**रिहायशी भवन**		**सांस्थानिक व्यापार भवन**
	वाणिज्यिक जोन, यदि कोई हो	**अन्य जोन**	
14.50-20.00 से अधिक	2.25	2.50	2.25
20.00-24.00 से अधिक	2.50	2.75	2.50
24.00 से अधिक	2.75	3.00	2.75

2. **विरासत उपनियम/विनियम/दिशा-निर्देश, यदि स्थानीय निकायों के पास कोई उपलब्ध हो:**

स्थानीय निकायों द्वारा एएसआई स्मारकों के लिए कोई विशेष उप-नियम और दिशानिर्देश नहीं बनाया गया है।

3. **खुले स्थान**

पश्चिम बंगाल नगरपालिका (भवन) नियम, 2007 के भाग IV, धारा 50 (2(क)) के अनुसार।

पहाड़ी क्षेत्रों में नगरपालिका के अलावा अन्य क्षेत्रों में भवन के लिए खुले स्थान -

क. रिहायशी उपयोग के लिए:

भवन की ऊंचाई (मीटर में)	**आगे की ओर खुले स्थान (मीटर में)**	**साइड-1 में खुले स्थान (मीटर में)**	**साइड-2 में खुले स्थान (मीटर में)**	**पीछे की ओर खुले स्थान (मीटर में)**

भवन की ऊंचाई (मीटर में)	आगे की ओर खुले स्थान (मीटर में)	साइड-1 में खुले स्थान (मीटर में)	साइड-2 में खुले स्थान (मीटर में)	पीछे की ओर खुले स्थान (मीटर में)
8.0 तक	1.2	1.2	1.2	2.0
8.00 से अधिक 11.0 तक	1.2	1.2	1.2	3.0
11.0 से अधिक 14.5 तक	1.5	1.5	2.5	4.0
14.5 से अधिक 18.0 तक	3.5	3.5	3.5	5.0
18.0 से अधिक 24.0 तक	5.0	5.0	5.0	7.0
24.0 से अधिक 36.0 तक	6.0	6.5	6.5	9.0
36.0 से अधिक 60.0 तक	8.0	8.0	8.0	10.0
60.0 से अधिक 80.0 तक	10.0	भवन की ऊंचाई का 15%	भवन की ऊंचाई का 15%	12.0
80.0 से अधिक	12.0	भवन की ऊंचाई का 15%	भवन की ऊंचाई का 15%	14.0
40.0 से अधिक 60.0 तक	8.0	8.0	8.0	10.0
ख. शैक्षणिक उपयोग के लिए:				
11.0 मीटर तक (500.00 वर्ग मीटर तक भूमि क्षेत्रफल)	2.0	1.8	4.0	3.5
11.0 मीटर तक (500.00 वर्ग मीटर तक भूमि क्षेत्रफल)	3.5	3.5	4.0	4.0
11.0 मीटर से अधिक 14.0 मीटर तक	3.5	4.0	4.0	5.0
14.0 मीटर से अधिक 21.0 मीटर तक	5.0	5.0	5.0	6.0
21.0 मीटर से अधिक	भवन की ऊंचाई का 20% या 6.0 मीटर जो भी अधिक हो	भवन की ऊंचाई का 20% या 5.0 मीटर जो भी अधिक हो	भवन की ऊंचाई का 20% या 5.0 मीटर जो भी अधिक हो	भवन की ऊंचाई का 20% या 8.0 मीटर जो भी अधिक हो
ग. सांस्थानिक, सभा, व्यापार, वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग भवन:				
11.0 मीटर तक (500.00 वर्ग मीटर तक भूमि क्षेत्रफल)	2.0	1.8	4.0	4.0
11.0 मीटर तक (500.00 वर्ग मीटर तक भूमि क्षेत्रफल)	3.0	3.5	4.0	4.0

भवन की ऊंचाई (मीटर में)	आगे की ओर खुले स्थान (मीटर में)	साइड-1 में खुले स्थान (मीटर में)	साइड-2 में खुले स्थान (मीटर में)	पीछे की ओर खुले स्थान (मीटर में)
11.0 मीटर से अधिक 18.0 मीटर तक	4.0	4.0	4.0	5.0
18.0 मीटर से अधिक 24.0 मीटर तक	5.0	5.0	5.0	9.0
24.0 मीटर से अधिक 36.0 मीटर तक	6.0	6.5	6.5	9.0
36 मीटर से अधिक	8.0	9.0	9.0	10.0
घ. औद्योगिक और भण्डारण भवनों के लिए:				
11.0 मीटर तक	5.0	4.0	4.0	4.5
11.0 मीटर से अधिक 18.0 मीटर तक	6.0	6.5	6.5	10.0
18.0 मीटर से अधिक	6.0 या भवन की ऊंचाई का 20% जो भी अधिक हो	6.0 या भवन की ऊंचाई का 20% जो भी अधिक हो	6.0 या भवन की ऊंचाई का 20% जो भी अधिक हो	6.0 या भवन की ऊंचाई का 20% जो भी अधिक हो

पार्किंग:

क्र.सं.	अधिभोग	कार पार्किंग स्थल की अपेक्षाएं
I.	रिहायशी उपयोग	क. कुल फर्श क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तक के प्रत्येक 150 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र के लिए एक कार पार्किंग स्थल प्रदान किया जाना है। ख. कुल फर्श क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर से 5000 वर्ग मीटर तक के प्रत्येक 140 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्रफल के लिए एक कार पार्किंग स्थल प्रदान किया जाना है। ग. कुल क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से अधिक के प्रत्येक 130 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए एक कार पार्किंग स्थल प्रदान किया जाना है। टिप्पणी I. तथापि पूरे भवन में 60 वर्ग मीटर से अनधिक एक टेनेमेंट वाले भवन भवनों के लिए प्रत्येक 250 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र के लिए एक कार पार्किंग स्थल प्रदान किया जाता है; II. कार पार्किंग की संख्या की गणना के प्रयोजनार्थ, निकटतम पूर्ण

क्र.सं.	अधिभोग	कार पार्किंग स्थल की अपेक्षाएं
		संख्या पर विचार किया जाना है।
II.	शैक्षणिक उपयोग	सभी शैक्षणिक भवनों के लिए प्रत्येक 500 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र और इसके भाग (50% से अधिक) के लिए एक कार पार्किंग स्थल और एक बस पार्किंग स्थल प्रदान किया जाना है। तथापि, प्रत्येक शैक्षणिक भवन के लिए कम से कम एक कार पार्किक स्थल प्रदान किया जाना है।
III.	सांस्थानिक उपयोग	अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संस्थानों के लिए (i) 1000 वर्ग मीटर से अनधिक कुल क्षेत्रफल के लिए प्रत्येक 150 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र हेतु एक कार पार्किंग स्थल प्रदान किया जाना है। तथापि, ऐसे सांस्थानिक भवन के लिए कम से कम एक कार पार्किंग स्थल प्रदान किया जाना है। (ii) 1000 वर्ग मीटर से अधिक के कुल क्षेत्रफल के लिए प्रत्येक 100 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र हेतु एक कार पार्किंग स्थल प्रदान किया जाना है। (कार पार्किंग स्थल में अधिकतम 250 संख्या के अध्यधीन)
IV.	सभा उपयोग	(क) थिएटर, मोशन पिक्चर हाउस, ऑडिटोरियम या अन्य इसी तरह के हॉलों के लिए - फर्श क्षेत्र के प्रत्येक 7 वर्ग मीटर के लिए एक कार पार्किंग स्थल की आवश्यकता होगी। तथापि, 75 वर्ग मीटर से कम फर्श क्षेत्र वाले ऐसे भवन के लिए कम से कम एक कार पार्किंग स्थल प्रदान किया जाना है। (ख) प्रदर्शनी हॉल, टाउन हॉल या सिटी हॉल और अन्य इसी तरह के हॉलों के लिए - फर्श क्षेत्र के प्रत्येक 200 वर्ग मीटर के लिए एक कार पार्किंग स्थल की आवश्यकता होगी। तथापि, 200 वर्ग मीटर से कम फर्श क्षेत्र वाले ऐसे भवन के लिए कम से कम एक कार पार्किंग स्थल प्रदान किया जाना है। (ग) रेस्तरां, भोजनालय, बार, क्लब, जिमखाना, डैन्स हॉल के लिए - फर्श क्षेत्र के प्रत्येक 7 वर्ग मीटर/ इसके भाग (50% से अधिक) के लिए कए कार पार्किंग स्थल। तथापि, 75 वर्ग मीटर से कम फर्श क्षेत्र वाले ऐसे भवनों के लिए कम से कम एक कार पार्किंग स्थल प्रदान किया जाना है। (घ) होटल के लिए - फर्श क्षेत्र के प्रत्येक 250 वर्ग मीटर/इसके भाग के लिए (50% अधिक) एक कार पार्किंग स्थल। तथापि,

क्र.सं.	अधिभोग	कार पार्किंग स्थल की अपेक्षाएं
		ऐसे होटल भवनों के लिए कम से कम दो कार पार्किंग स्थलों को प्रदान किया जाना है। बशर्ते कि सम्मेलन, शादी समारोह और अन्य सार्वजनिक समारोह जैसे अन्य सुविधाओं के लिए बैंक्वेट हॉल के साथ होटल के लिए बैंक्वेट हॉल के ऐसे प्रत्येक 50 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र के लिए एक कार पार्किंग की और आवश्यकता होगी : बशर्ते यह भी कि कार पार्किंग की आवश्यकता आकलन करने के लिए होटल के क्षेत्र की गणना करते समय बैंक्वेट हॉल के क्षेत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। (ड.) आवास भवन और अतिथि गृह के लिए - फर्श क्षेत्र के प्रत्येक 500 वर्ग मीटर/ या इसके भाग (50% से अधिक) के लिए एक कार पार्किंग स्थल प्रदान किया जाना है। अन्य सभा भवन जैसे आराधना स्थल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम, रेलवे या बस यात्री स्टेशन, हवाई अड्डा टर्मिनल या अन्य किसी स्थान जहां लोग एकत्रित होते हैं, के लिए परिषद के अध्यक्ष द्वारा पार्किंग स्थल की आवश्यकता निर्धारित की जाएगी।
V	व्यापार उपयोग	फर्श क्षेत्र के प्रत्येक 100 वर्ग मीटर और/ या इसके भाग (50% से अधिक) के लिए एक कार पार्किंग स्थल। तथापि, ऐसे भवन के लिए कम से कम एक कार पार्किंग स्थल प्रदान किया जाना है।
VI.	व्यावसायिक (खुदरा) उपयोग	(क) फर्श क्षेत्र 50 वर्ग मीटर तक के लिए - कोई कार पार्किंग स्थल नहीं (ख) फर्श क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक के लिए - एक कार पार्किंग स्थल + कवर्ड क्षेत्र के प्रत्येक 100 वर्ग मीटर के लिए एक अतिरिक्त कार पार्किंग स्थल।
VII.	औद्योगिक, भण्डारण और व्यावसायिक उपयोग	(क) 200 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र के लिए -एक कार पार्किंग स्थल (ख) 200 वर्ग मीटर से अधिक फर्श क्षेत्र के लिए - प्रत्येक 200 वर्ग मीटर के लिए एक कार पार्किंग स्थल और प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के लिए एक ट्रक पार्किंग स्थल, न्यूनतम एक ट्रक पार्किंग स्थल के अध्यधीन। किसी भी मामले में अपेक्षित कार पार्किंग स्थल 50 से अधिक कारों के लिए नहीं होगा और अपेक्षित ट्रक पार्किंग स्थल 50 से ट्रकों के लिए अधिक नहीं

क्र.सं.	अधिभोग	कार पार्किंग स्थल की अपेक्षाएं
		होगा।

बशर्ते कि अपेक्षित कार पार्किंग स्थल के प्रयोजनार्थ फर्श क्षेत्र की गणना करते समय कार पार्किंग के लिए कवर्ड क्षेत्र पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(2) इस भाग के उप-मद (1) के प्रावधान के बावजूद, इस नियम के प्रयोजन के लिए परिषद का अध्यक्ष, किसी भी क्षेत्र या वार्ड या नगर में क्षेत्र जहां अतिरिक्त पार्किंग स्थल की आवश्यकता है, प्रदान कर सकते हैं।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर आवागमन सड़क, पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत परिवहन आदि

पैदल यात्रियों और गाड़ियों के लिए कोई विशेष दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं है।

5. गलियां, अग्रभाग और नए निर्माण

प्रतिषिद्ध एएसआई स्मारकों या अन्य विरासत संरचनाओं के लिए गलियों और अग्रभाग के संबंध में कोई विशेष दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं है।

LOCAL BODY GUIDELINES

Although there are no specific guidelines framed in the state acts/rules/heritage bye-laws/master plan/city development plan, etc., nevertheless provisions are made regarding the heritage in the following acts/rules:

i. The guidelines for the constructions of the buildings and other related topic are specified in the West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007 (the details are given below in para 3.2.1. & 3.2.3.).
ii. InThe West Bengal Heritage Commission Act, 2001 of the West Bengal Act IX of 2001,a provision is made for the establishment of a Heritage Commission in the State of West Bengal for the purpose of identifying heritage buildings, monuments, precincts and sites and for measures for their restoration and preservation. It extends to the whole of West Bengal. In chapter II of this act-it is clearly mentioned to establish a Commission by the name of the West Bengal Heritage Commission.

1.Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the Regulated Area for new construction, Set Backs.

The general rules of construction shall be applicable as per the West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007.

As per the *West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007 Part III, section 46(1)* *(a)*The maximum permissible ground coverage for building, when a plot contains a single building, shall depend on the plot size and the use of the building as given in the table below:

Maximum permissible Ground Coverage (Plot containing a single building)

Type of building.	**Maximum permissible ground coverage.**
1. Residential and educational:	
(a) Plot size up to 200 sq. meters	65%
(b) Plot size of above 500 sq. meters;	50%
2. Other uses including mixed use	40%.

As per the *West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007, Part XI, section 162.*
Permissible height of building. —
(1) The maximum permissible height of a building as well as its permissible floor area shall be regulated by the width of the surrounding open space in the same holding plus the width of its means of access, depending on the type of building use as per the table below: —

Floor Area Ratio (FAR):				
width of means of access plus width of front open space	**Up to 3.0 m**	**3.0-5.0 m**	**5.0-7.5 m**	**above 7.5 m**
Residential	1.0	2.0	2.5	2.75
Commercial, Public and other uses	1.0	1.5	2.0	2.5
Maximum permissible height	4.5	6.5	11.5	13.5

Width of Means of Access (meters).	Residential Building		Use Groups of Buildings
	Commercial zone, if any	Other zone.	Institutional Business Building
Above 14.50 to 20.00	2.25	2.50	2.25
Above 20.00 to 24.00	2.50	2.75	2.50
Above 24.00	2.75	3.00	2.75.

2. Heritage byelaws/ regulations/ guidelines if any available with local bodies.

No specific bye-laws and guidelines are framed for the ASI monuments by the local bodies.

3. Open spaces.

As per the ***West Bengal Municipal Building Rules, 2007, Part IV, section 50(2(a)) Open spaces for building in areas other than municipalities in hill areas. —***

For residential use:

Height of building	Front open space	Open space on side-1	Open space on side-2	Rear open space
Upto 8.0	1.2	1.2m	1.2 m	2.0 m
Above 8.0 upto 11.0	1.2m	1.2m	1.2m	3.0m
Above 11.0 upto 14.5	1.5m	1.5m	2.5m	4.0m
Above 14.5 upto 18.0	3.0m	3.5m	3.5m	5.0m
Above 18.0 upto 24.0	5.0m	5.0m	5.0m	7.0m
Above 24.0 upto 36.0	6.0m	6.5m	6.5m	9.0m
Above 36.0	8.0m	8.0m	8.0m	10.0m
upto 60.0				

Above 60.0 upto 80.0	10.0m	15% of the height of the building	15% of the height of the building	12.0m
Above 80.0	12.0m	15% of the height of the building	15% of the height of the building	14.0m
Above 40.0 m upto 60.0 m	8.0m	8.0m	8.0m	10.0m

(b) For educational use

Height of building	Front open space	Open space on side-1	Open space on side-2	Rear open space
upto 11.0 meter (land area upto 500.0 square meter)	2.0m	1.8 m	4.0 m	3.5 m
Upto11.0 m for land area above 500.0 sq. m	3.5 m	3.5 m	4.0 m	4.0 m
Above 11.0 m upto 14.5 m	3.5 m	4.0 m	4.0 m	5.0 m
Above 14.5 m upto 21.0 m	5.0 m	5.0 m	5.0 m	6.0 m
Above 21.0 m	20% of the height of building or 6 m, whichever is more	20% of the height of building or 5 m, whichever is more	20% of the height of building or 5m, whichever is more	20% of the height of building or 8 m, whichever is more

For institutional, assembly, business, mercantile and mixed uses.

Height of building	Front open space	Open space on side-1	Open space on side-2	Rear open space
upto 11.0 meter (land area upto 500.0 square meter)	2.0m	1.8 m	4.0 m	4.0 m
upto 11.0 meter (land area above 500.0 square meter)	3.0 m	3.5 m	4.0 m	4.0 m

Above 11.0 meter upto 18.0 meter	4.0 m	4.0m	4.0 m	5.0 m
Above 18.0 meter upto 24.0 meter	5.0 m	5.0m	5.0 m	9.0m
Above 24.0 meter upto 36.0 meter	6.0 m	6.5 m	6.5 m	9.0m
Above 36.0 meter	8.0 m	9.0 m	9.0 m	10.0 m

For industrial and storage buildings

Height of building	Front open space	Open space on side-1	Open space on side-2	Rear open space
upto 11.0 M	5.0 m	4.0 m	4.0 m	4.5 m
Above 11.0M upto 18.0 M	6.0 m	6.5 m	6.5 m	10.0 m
Above 18.0 M	6.0 or 20% of the height of the building whichever is more	6.0 or 20% of the height of the building whichever is more	6.0 or 20% of the height of the building whichever is more	6.0 or 20% of the height of the building whichever is more

Parking:

SI. No.	Occupancy	Car Parking Space Requirement
I.	Residential	One car parking space to be provided for every 150 sqm of floor area upto a total floor area of 600 sqm., One car parking space to be provided for every 140 sqm of floor area abovea total floor area of 600 sqm up to 5000 sqm., c. One Car parking space to be provided for every 130 sqm of floor area above atotal floor area of 5000 sqm. Note. I: However for building or buildings having individual tenements size not exceeding 60 sqm. in the entire building, one car parking space to be provided for every 250 sqm of floor area; II. For the purpose of calculation of number of car park nearest whole numberis to be considered.

II.	Educational	For all educational buildings, one car parking space and one bus parkingspace are to be provided for every 500 sqm of floor area and part thereof(exceeding 50%). However, at least one car parking space is to be provided forevery educational building.
III.	Institutional	For hospitals and other health care institutions— (i) One car parking space for every 150 sqm of floor area is to be provided for a total floor area not exceeding 1000 sqm. However, at least one car parking space is to be provided for such institution building. (ii) One car parking space for every 100 sqm of floor area is to be provided for a total floor area exceeding 1000 sqm (subject to a maximum of 250 nos. of car parking space).
IV.	Assembly	For theaters, motion picture houses, auditorium or similar other halls- onecar parking space for every 75 sqm of floor area shall be required. However, atleast one car parking space is to be provided for such buildings even having less than 75 sqm of floor area; For Exhibition Halls, Town Hall or City Halls and similar other halls- one car parking space for every 200 sqm of floor area shall be required. However, at least one car parking space is to be provided for such halls even having less than 200 sqm of floor area; For restaurant, eating houses, bars, clubs, gymkhana, dance halls - one car parking space for every 75 sqm of floor area and/or part thereof (exceeding 50%). However, at least one car parking space is to be provided for such buildings even having less than 75 sq meters, For hotels - one car parking space for every 250 sqm of floor area and/orpart thereof (exceeding 50%). However, at least two car parking space is to be provided for such hotel buildings: Provided that for Hotels with Banquet Hall for other facilities like Conference, Marriage Ceremony and other public gatherings one car parking space for every 50 sqm of such floor area of banquet hall shall be required additionally: Provided further that while calculating the area of hotel to assess the requirement of car parking, area of banquet hall will not be considered. For boarding house and guest house - one car parking space for every 500sqm of floor area and/or part thereof (exceeding 50%). However, at least one car parking space is to be provided for such houses For other assembly buildings like place of worship, gymnasium, sports stadium, railway or bus passenger station, airport terminal; or any other places where people congregate or gather—requirement of parking space shall be determined by the Chairman-in-Council.

V.	Business	One car parking space for every 100 sqm of floor area and/or part there of (Exceeding 50%). However, at least one car parking space is to be provided for such building.
VI.	Mercantile (retail)	(a) For floor area up to 50 sq.m.—no car parking space. (b) For floor area above 50 sq.m.—one car parking space plus an additional car parking space for every 100 sq.m. of the covered area.
VII.	Industrial, Storage and	(a) For floor area up to 200 sq.m.—no car parking space. (b) For floor area above 200 sq.m.—one car parking space for every 200 sq.m. And one truck parking space for
	Mercantile (Wholesale)	every 1000 sqm. Subject to a minimum of one truck parking space. In no case the required car parking space shall exceed 50 and the required truck parking space shall exceed 50:

Provided that while calculating the floor area for the purpose of car parking space required, covered areas for car parking arenot to be considered.
(2) Notwithstanding the provisions of sub-item (1) this part, the Chairman-in-Council may in any area or ward or borough for the purpose of this rule, require additional parking spaces to be provided in such area.

4. Mobility within the Prohibited and Regulated area –Roads facing Pedestrian ways, non –motorized Transport etc.

No specific guidelines are available for pedestrian and vehicular ways.

5. Streetscapes, Facades and New construction

No specific guidelines are available, pertaining to streetscapes and facades within the prohibited and regulated area of the ASI Monuments or other heritage structures.

अनुलग्नक-IV

ANNEXURE- IV

रुद्रेश्वर मंदिर, स्थान-बामुनारा, जिला-बर्दवान, पश्चिम बंगाल की संरक्षित चारदीवारी की सर्वेक्षण योजना

Survey Plan of Protected Boundary of Rudreswar Temple, Locality- Bamunara, District-Burdwan, West Bengal

अनुलग्नक-V
ANNEXURE-V

अंदल, पांडवेश्वर, दुर्गापुर-फरीदपुर और कांस्का ब्लॉक के लिए विकास योजना

Development plan for Andal, Pandabeswar, Durgapur- Faridpur and Kanksa blocks

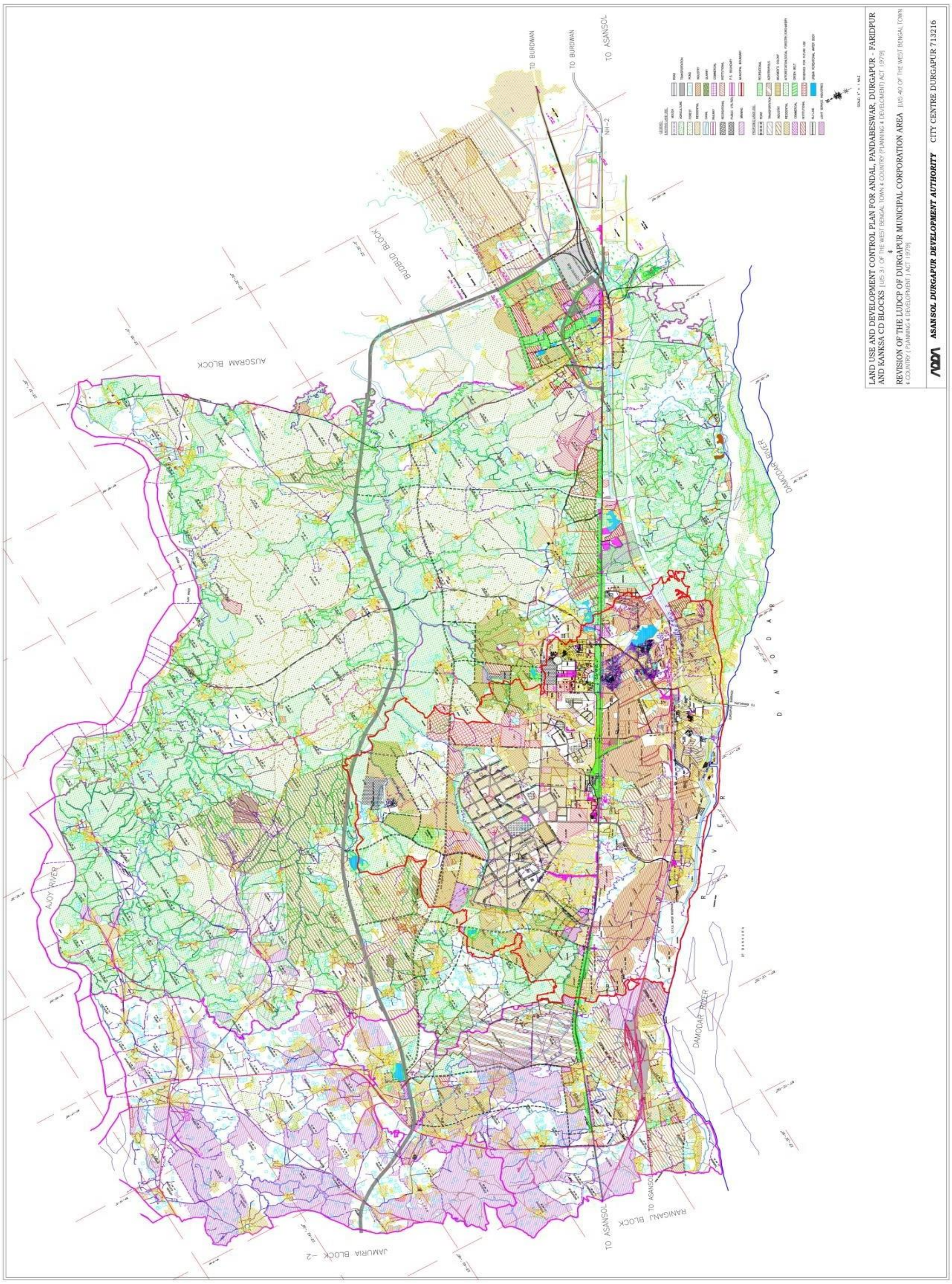

अनुलग्नक-VI

ANNEXURE-VI

स्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्र के चित्र

IMAGES OF THE MONUMENT AND ITS SURROUNDINGS

चित्र *1:* रुद्रेश्वर मंदिर के आगे का उठाया गया भाग

Photo 1: The Front elevation of the Rudreswar temple

चित्र *2:* रुद्रेश्वर मंदिर

Photo 2: The Rudreswar temple

चित्र 3: रूद्रेश्वर मंदिर का पश्चिमी भाग

Photo 3: The side elevation of the Rudreswar temple

चित्र *4:* रुद्रेश्वर मंदिर का उसके प्रवेश द्वार की ओर से दृश्य

Photo 4: View of the Rudreswar temple from its entrance